



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 28.08.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभि० का नाम व पता:-

1-सत्यवीर पुत्र जयपाल निवासी महरमपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ०नि० यूटी धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।

2-का० 607 कपिल कुमार थाना खेकडा ।

3- का० 284 मनोज कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपद

थाना खेकडा

दिनांक 28.08.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 11 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार न0 HR42E5909 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान डूण्डाहैडा बैरियर से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार न0 HR42E5909 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 266/2024 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवीन उर्फ बबलू पुत्र जगदीश निवासी बसंतपुर थाना कोतवाली रोहतक जिला रोहतक हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 11 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का व्हाइट एंड ब्लू प्रीमियम व्हिस्की ।
- तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार न0 HR42E5909

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेशचन्द्र साहू थाना खेकडा ।

- 2- उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा ।
3-है0का0 599 सचिन कुमार थाना खेकडा ।
4- का0 1008 मिथुन थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनाँक 28.08.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 187/24 धारा
147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से
पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01
अवैध पिस्टल 7.65mm मय 03 जिन्दा कारतूस 7.65mm बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 187/24 धारा 147/148/149/307/302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 7.65mm मय 03 जिन्दा कारतूस 7.65mm बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

1.आशु उर्फ अखिलेश पुत्र अनिल निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 187/24 धारा 147/148/149/307/302 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 200/23 धारा 323,506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 354/24 धारा 420,504 भादवि थाना जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 7.65mm मय 03 जिन्दा कारतूस 7.65mm

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-का0 164 नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-का0 1083 शुभम राणा थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 28.08.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 217/24 धारा
191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/127(2)/76/3(5)/110 BNS से सम्बन्धित 04
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.8.24 को थाना छपरौली पर वादी संदीप पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ने अभियुक्तगण जमील पुत्र निजामुद्दीन निवासी लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत व



अन्य 17 अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिजनों के साथ लाठी व डन्डो से मारपीट करने व बदतमीजी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 217/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/127(2)/76/3(5)/110 BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 217/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/ 127(2)/76/3(5)/110 BNS से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जमील पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- आसू पुत्र यामीन निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-शहजाद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-महरबान पुत्र हमीद उर्फ मिद्दा निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।
- 2-है0का0 410 राजवीर थाना छपरौली ।
- 3-का0 1028 मुरली थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-28.08.2024

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 214 किलोग्राम अद्धनिर्मित पटाखे व एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करो को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 214 किलोग्राम अद्धनिर्मित पटाखे व एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहरुख पुत्र शकील निवासी पट्टी शोरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मुजक्किर पुत्र शकील निवासी पट्टी शोरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-हैदर पुत्र शहीद निवासी पट्टी शोरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 214 किलोग्राम अद्धनिर्मित पटाखे ।
- एक इलैक्ट्रॉनिक कांटा बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि० श्री संजीव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का० 876 कैलाश थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का० 1055 सुचेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4.का० 1003 उपदेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 28.08.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 85/24 धारा 307/34/506/120बी भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.06.24 को थाना बालैनी पर वादी संजय कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त (1) इन्द्र पुत्र महावीर, (2) बिट्टन उर्फ अनुज पुत्र राकेश, (3) मनोज पुत्र ओमप्रकाश, (4) विपिन पुत्र सुरेश निवासीगण ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ने



अभियुक्त (5) सुरेन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत के कहने पर एक राय होकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया तथा अभियुक्त इन्द्र पुत्र महावीर द्वारा अपने हाथ में लिये तमंचे से वादी के ऊपर फायर किया गया । इस सम्बंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 307/34/506/120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 85/24 धारा 307/34/506/120बी भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट: गिरफ्तार अभियुक्त बिट्टन उर्फ अनुज का मा0 न्यायालय से एनबीडब्लू जारी किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिट्टन उर्फ अनुज पुत्र राकेश निवासी ग्राम मवीकला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 यू0टी0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

